

सेवा में

1. मण्डलीय अपर निदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मण्डल— फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली, देवीपाटन व बस्ती।

2. मुख्य चिकित्साधिकारी

जनपद—फैजाबाद, बाराबंकी, सुलतानपुर, अमेरी, अब्बेडकरनगर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूँ पीलीभीत, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, बरती, सिद्धार्थनगर व संतकबीरनगर।


पत्रांक—एनआरएचएम/एसपीएमयू/मै0डे0आ0/54बी/2012–13 1890-२ दिनांक ०१.०९.२०१२

विषय—प्रदेश के 05 अतिरंगेदनशील मण्डलों में स्वतन्त्र समीक्षकों द्वारा मातृ—मृत्यु समीक्षा की पायलट परियोजना के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि एनुअल हेल्थ सर्वे 2010–11 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की मातृ मृत्यु दर 345 प्रति एक लाख जीवित जन्म हो गयी है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2017 तक इसे 200 प्रति एक लाख जीवित जन्म तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के 05 मण्डलों में मातृ मृत्युदर 400 प्रति लाख जीवित जन्म से अधिक है जिसके लिए इन 05 मण्डलों के अन्तर्गत आने वाले 20 जनपदों में स्वतन्त्र समीक्षकों द्वारा मातृ—मृत्यु समीक्षा की पायलट परियोजना संचालित की जानी है।

Maternal Mortality Ratio (division wise) - AHS 2010



यह सर्वविदित है कि मातृ—मृत्यु के लिये केवल चिकित्सकीय कारण ही नहीं वरन् सामाजिक/भौगोलिक/आर्थिक आदि कई परिस्थितियाँ भी उत्तरदायी हैं। इन सभी कारकों के विश्लेषण के फलस्वरूप ही मातृ—मृत्यु दर में अपेक्षित कमी लाने के लिये प्रभावी रणनीति बनायी जा सकती है। मातृ—मृत्यु समीक्षा की रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपदों को राज्य स्तर से विस्तृत दिशा—निर्देश एवं धनराशि पत्रसंख्या—एनआरएचएम/एसपीएमयू/मै0डे0आ0/54बी/2012–13/1267–72 दिनांक 04.09.2012 पूर्व में प्रेषित किये गये हैं जो एन0आर0एच0एम0 की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

1. स्वतन्त्र समीक्षकों द्वारा मातृ मृत्यु समीक्षा की पायलट परियोजना

1.1. **मातृ मृत्यु की सूचना** — अपने जनपद में विशेष अभियान के अंतर्गत सभी प्रभारियों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं आशाओं को सूचित करें कि वे अपने क्षेत्र में होने वाली सभी मातृ मृत्युओं की रिपोर्टिंग अवश्य करें। जनपद की सभी प्रसव/चिकित्सा इकाईयों से मातृ—मृत्यु की मासिक रिपोर्ट प्राप्त करें चाहे वह शून्य ही क्यों न हो।

1.2. सभी ब्लॉक प्रभारी आशाओं को मासिक बैठक के दौरान सूचित कर दें कि वर्तमान में आशाओं को प्रत्येक मातृ मृत्यु की सूचना पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि दोगुनी अर्थात् ₹0 100.00 कर दी गई है। मासिक बैठक में इसका भुगतान भी सुनिश्चित कराएं जिससे आशाओं का उत्साह बना रहे। पायलट जनपदों में वर्ष 2012–13 में कुल होने वाली मातृ–मृत्युओं की संख्या का आंकलन कर उसके कम से कम 60 प्रतिशत की रिपोर्ट अवश्य होनी चाहिए। इसके लिए जनपद स्तर पर विशेष अभियान चलाए जायें।

1.3. आपके जनपद में 1 स्वतंत्र मातृ–मृत्यु समीक्षक दल का गठन किया जाना है। इस दल में 1 अनुभवी चिकित्साधिकारी एवं 1 महिला सामाजिक/स्वास्थ्य कार्यकर्ता होंगे। स्वतंत्र मातृ–मृत्यु समीक्षक दल में ऐसे राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त चिकित्सक एवं सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता के चयन को वरीयता दी जाये जो मातृ मृत्यु के मुद्दे पर संवेदनशील हों। यदि आपके जनपद में पूर्व के/वर्तमान में State Quality Monitor उपलब्ध हों तो उनका चयन कर इस कार्य में सहयोग ले लें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में नोडल अधिकारी, आरोसी०एच० एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय की एक समिति गठित कर स्वतंत्र मातृ–मृत्यु समीक्षक दल के सदस्यों का चयन कर लिया जाय जिसकी औपचारिक सूचना आगामी जिला स्वास्थ्य समिति में प्रस्तुत कर दी जाये।

1.4. स्वतंत्र मातृ–मृत्यु समीक्षक दल के सदस्यों का मण्डल स्तर पर समुदाय स्तरीय मातृ–मृत्यु समीक्षा (Community based maternal death audit) हेतु अभिमुखीकरण कर दिया जाये। यह एक दिवसीय अभिमुखीकरण पूर्व में प्रेषित प्रशिक्षण पुस्तिका व हिन्दी/अंग्रेजी के प्रारूप पर चर्चा के माध्यम से किया जाये। मातृ मृत्यु की फैसिलिटी बेर्स्ड मैटरनल डेथ ऑडिट (Facility based maternal death audit) तथा कम्युनिटी बेर्स्ड मातृ मृत्यु समीक्षा (Community based maternal death audit) हेतु प्रशिक्षण पुस्तिकाएं व हिन्दी/अंग्रेजी के प्रारूप री०डी० पर एवं एन०आर०एच०एम० उत्तर प्रदेश की अधिकृत वेबसाइट www.upnrrhm.gov.in पर भी उपलब्ध करा दिए गए हैं।

1.5. जनपद में होने वाली मातृ मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर यह दल दो सप्ताह के अन्दर उस गांव का भ्रमण करेगा। यह दल मृतिका के परिवार के सदस्यों, आशा, ए०एन०एम० व समुदाय के सदस्यों के साथ बैठकर मृत्यु के कारणों व सामयिक घटनाओं का सत्य शोधन करेगा, तत्पश्चात् एक सप्ताह के भीतर कम्युनिटी बेर्स्ड मैटरनल डेथ ऑडिट फार्म–२ भर कर विश्लेषण के साथ मुख्यचिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

1.6. पायलट परियोजना के अन्तर्गत धनराशि की व्यवस्था—

- इस कार्य के लिए ₹0 1000.00 चिकित्सक को, ₹0 500.00 सामाजिक कार्यकर्ता को तथा ₹0 500.00 रिपोर्ट लेखन व अन्य व्यय हेतु, इस प्रकार ₹0 2000.00 प्रति समीक्षा अनुमन्य होगा जिसका भुगतान रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात किया जायेगा।
- इस दल के भ्रमण हेतु अनुश्रवण के मद में उपलब्ध कराये जा रहे वाहन का उपयोग किया जायेगा जिसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्साधिकारी की होगी।
- इस दल के साथ जाने वाली आशा, ए०एन०एम० तथा एक परिवार के सदस्य में से प्रत्येक दल को ₹0 100.00 पूर्व की भांति ही दिया जायेगा।
- स्वतंत्र मातृ–मृत्यु समीक्षक दल के सदस्यों का मण्डल स्तर पर अभिमुखीकरण हेतु ₹0–2000.00 प्रति जनपद की दर से मण्डल के मुख्यालय जनपद की जिला स्वास्थ्य समिति में संलग्नक–२ के कॉलम ९ पर प्रदर्शित धनराशि प्रेषित की जा रही है। इस अभिमुखीकरण हेतु मातृ मृत्यु समीक्षा के प्रारूपों व प्रक्रिया पर पूर्ण जानकारी रखने वाले दो सदस्यों को अपर निदेशक द्वारा नामित किया जाये। उपर्युक्तानुसार प्रत्येक जनपद के संलग्नक–२ के कॉलम ७ पर प्रदर्शित मातृ मृत्यु समीक्षाओं के लिए कॉलम ८ में प्रदर्शित धनराशि प्रेषित की जा रही है।

2. सामान्य वित्तीय व्यवस्था – उपर्युक्त क्रम में कृपया यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाय कि –

- आशा/ए०एन०एम०/मृतिका के परिवार के सदस्य को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायगा।
- प्राविधिक धनराशि का मदवार व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाय।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने रतर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेनट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- समस्त गतिविधियों की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय विवरण समयबद्ध रूप से एन०आर०एच०एम० तथा निदेशक—मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण महानिदेशालय को निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-३) पर प्रेषित करने का कष्ट करें।
- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाय।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक—यथोक्त

भवदीय,

१४१०-११-१२
५८८८ (अमित कुमार घीष)
मिशन निदेशक

पत्रसं०—एनआरएचएम/एसपीएमय०/मै०ड००३००/५४बी/२०१२-१३ १४१०-२-(१) तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2 महानिदेशक—परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4 समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, एन०आर०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।
- 5 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
- 6 वित्त नियंत्रक—एन०आर०एच०एम०, एस०पी०एम०य००, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7 समस्त वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 8 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन०आर०एच०एम०, उ०प्र०।
- 9 समस्त जिला परियोजना प्रबन्धक—एन०आर०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।

१४१०-११-१२
(अमित कुमार घीष)
मिशन निदेशक

NRHM Pilot Project 2012-13- Maternal death review by independent evaluators

२०१२-१३ - २

S.No	Name of Districts	Population	CBR	expected deliveries in the year	expected maternal deaths in the year	MDR to be done by independent evaluation team	Budget @ Rs.2000.00/D MDR	Budget @ Rs.2000.00/D ist. For orientation of team at div HQ	Total Budget in Rs.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रतापगढ़	3173752	24.9	79026	349	54	108000		108000
2	फतेहपुर	2632684	23.9	62921	278	45	90000		90000
3	इलाहाबाद	5959798	26.6	158531	761	108	216000	8000	224000
4	कौशास्ती	1596909	30	47907	212	35	70000		70000
	इलाहाबाद मंडल								
5	शाहजहांपुर	3002376	28.5	85568	378	55	110000		110000
6	बरेली	4465344	27	120564	533	80	160000	8000	168000
7	बदायूं	3130827	30.9	96743	428	65	130000		130000
8	पीलीभीत	2037225	25.8	52560	232	35	70000		70000
	बरेली मंडल								
9	सुलानपुर	2463804	22.8	56175	248	35	70000		70000
10	अमेरी	2259709	25.5	57623	255	40	80000		80000
11	अमेदकर नगर	2398709	25.2	60447	267	40	80000		80000
12	फैजाबाद	2468371	25.5	62943	278	43	86000	10000	96000
13	बाराबंकी	3257983	26	84708	374	55	110000		110000
	फैजाबाद मंडल								
14	गोपन्डा	3431386	27.1	92991	411	60	120000	8000	128000
15	बलरामपुर	2149066	26.3		0	0			
16	बहराइच	3478257	32.2	112000	495	75	150000	0	150000
17	श्रावस्ती	1114615	40.9	45588	201	30	60000		60000
	गोपन्डा मंडल								
18	सिद्धार्थ नगर	2553526	38	97034	429	65	130000		130000
19	बहरी	2461056	27.6	67925	300	45	90000	6000	96000
20	संत कवीर नगर	1714300	31.1	53315	236	35	70000		70000
	बस्ती मंडल								
	योग								
		55749697		1494569	6606	1000	2000000	40000	2040000

संलग्नक-1

जनपदों के स्तर पर मैटरनल डेथ ऑफिट कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित समितियों की स्थिति

जनपद का नाम:

दिनांक:

क्रम सं०	जनपद स्तर पर गठित की जाने वाली समितियां	गठन की स्थिति हाँ/नहीं	सदस्यों की संख्या	प्रशिक्षण की स्थिति हाँ/नहीं	वर्ष 2012-13 में की गयी समीक्षा बैठकों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1	जनपद स्तरीय मातृ मृत्यु समीक्षा समिति				
2	जिला महिला चिकित्सालय स्तरीय मातृ मृत्यु समीक्षा समिति				
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (L-2 & L-3) स्तरीय मातृ मृत्यु समीक्षा समिति				
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (L-2) स्तरीय मातृ मृत्यु समीक्षा समिति				

हस्ताक्षर, नाम व मोहर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी